सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:—305—2019/रीडर/2019/ 219 दिनांक 26/2/19

प्रेषिति:—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. गणपतराम पुत्र सोलूराम, जाति—जाट, निवासी—डीगाल, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राधादेवी पत्नी सोलूराम, 2. विमला पुत्री सोलूराम, 3. शारदा पुत्री सोलूराम, 4. सरिता पुत्री सोलूराम, 5. सरपंच ग्रामपंचायत—बेड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **305/2018** दायर दिनाँक **23.08.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गणपतराम पुत्र सोलूराम, जाति—जाट, निवासी—ढीगाल, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राधादेवी पत्नी सोलूराम, 2. विमला पुत्री सोलूराम, 3. शारदा पुत्री सोलूराम, 4. सरिता पुत्री सोलूराम, 5. सरपंच ग्रामपंचायत—बेड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. महेन्द्रसिंह खिलेरी, वादी।

दिनाँक **26.02.2019**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 269/96 रकबा 06.11 बीघा वाकै सरहद ढीगाल में अवस्थित है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि में से रकबा 0.01 बीघा ग्रामपंचायत बेड़वा के नाम से दर्ज है व शेष भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बीच—बीच बराबर—बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपर्युक्त भूमि में ग्रामपंचायत बेड़वा व वादी व प्रतिवादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का हक नहीं है मगर सहवन से अन्य व्यक्तियों का नाम जमीन के रिकॉर्ड में अंकन हो रखा है जिनका न तो हक है और न ही कब्जाकाश्त है जिसकी जानकारी नकल खतौनी लेने पर हुई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार डीडवाना डीडवाना को आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाया गया है उनसे कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है। ग्रामपंचायत बेड़वा के नाम से रकबा 0.01 बीघा भूमि होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद ढीगाल के खसरा नम्बर 269/96 रकबा 06.11 में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के अलावा अन्य खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम ढीगाल सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 45/18 खसरा नम्बर 269/96 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम ढीगाल सम्वत् 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश, पेश है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी की इस्तदुआ जरिये वकील है कि, वादी अनुतोष माफिक दावा डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद में किसी पक्षकार की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं है। वादी का अनुतोष है कि, सरहद ढीगाल में खसरा नम्बर 269/96 रकबा 06.11 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के अलावा अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। वाद में किसी की उजर–आपत्ति नहीं होने से सरहद ढीगाल में खसरा नम्बर 269/96 रकबा 06.11 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के रखते हुए शेष अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, अनुतोष वादी माफिक, निम्नानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 305/2018
दायर दिनाँक 23.08.2018, निर्णय दिनाँक 26.02.2019
गणपतराम बनाम् राधोदवी, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ढीगाल में खसरा नम्बर 269/96 रकबा 06.11 बीघा भूमि में से रकबा 06.10 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के हक में तथा शेष भूमि रकबा 0.01 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में घोषित की जाती है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज अन्य खातेदारान् का नाम हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, एक–दूसरे की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **26.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 305/2018 दायर दिनाँक 23.08.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. गणपतराम पुत्र सोलूराम, जाति–जाट, निवासी–ढीगाल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राधादेवी पत्नी सोलूराम, 2. विमला पुत्री सोलूराम, 3. शारदा पुत्री सोलूराम, 4. सरिता पुत्री सोलूराम, 5. सरपंच ग्रामपंचायत–बेड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 26.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई महेन्द्रसिंह खिलेरी, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ढीगाल में खसरा नम्बर 269/96 रकबा 06.11 बीघा भूमि में से रकबा 06.10 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के हक में तथा शेष भूमि रकबा 0.01 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में घोषित की जाती है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज अन्य खातेदारान् का नाम हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, एक–दूसरे की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–..........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूप या	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner